[illegible]

सेवा में,

[illegible]

[illegible] अल्मोड़ा।

विषय:- [illegible]

सन्दर्भ:- [illegible] (भू०) उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक [illegible], दिनांक [illegible]।

उपरोक्त विषयक क्रम में सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित ऐसे प्रकरण जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति 09.01.2017 से पूर्व प्राप्त हो चुकी है परन्तु वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी है, में एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी है।

उक्त सम्बन्ध में प्रस्ताव में आपके द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसके तहत आपके द्वारा निम्नानुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी है। आपके द्वारा निम्नानुसार एन०पी०वी० की राशि जमा किये जाने व पूर्ण अनुपालन आख्या को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकरण में पूर्व में एन०पी०वी० की धनराशि जमा कर दी गयी है तो उसकी रसीद संलग्न करें और अतिरिक्त धनराशि ही जमा करायें। इसके अतिरिक्त यदि आपके द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की गयी है तो पूर्ण धनराशि एन०पी०वी० की नवीन दरों के अनुसार ही जमा की जायेगी।

क्र० सं०	प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	एन०पी०वी० की जमा धनराशि	एन०पी०वी० की नवीन दरों के अनुसार धनराशि	जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6=5-4
1	8445/2014	Vinyal-Rikhar Kotiyag Motor Road	1773500	2714057	940167

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

LT-Filed-